1	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित 3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 06/2019–20

मनोज मंडल

बनाम

जनार्दन मंडल वगै0

आदेश

15-02-20 प्रस्तुत उच्छेदी वाद आवेदक मनोज मंडल, पिता– स्व0 नन्दलाल मंडल, सा0– बांका पहाडपुर, थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षीगण को नोटिश निर्गत कर कारणपृच्छा की मांग की गई।

आवेदित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
पहाडपुर	33	166	00–02–00

आज उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा पहाडपुर के जमाबंदी नं0– 33, दाग नं0– 166, रकवा 03 कट्ठा 13 धूर जमीन दिनांक 16.02.2015 को आवेदक की माँ मैनु मंडल ने विक्रेता ढुलु मंडल, पिता– स्व0 हरेन मंडल, सा0– पच्चुलाग्राम, थाना– फरक्का,, जिला– मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) से निबंधित बिक्री केवाला द्वारा क्रय कर अपने नाम से नामांतरण कराकर सरकारी राजस्व का भुगतान करते आ रहे हैं। उक्त दाग नं0– 166 की जमीन में लगभग 01 कट्ठा 13 धूर जमीन पर आवासीय मकान अवस्थित है तथा शेष भूमि खाली पडा हुआ है। जिसमें विपक्षीगण अवैध तरीके से कब्जा कर लाठी, फरसा से लैश होकर मिट्टी का झोपड़ीनुमा घर बना लिये है। आवेदक एवं उनके परिजनों के द्वारा घर बनाने से मना करने पर विपक्षीगण जान से मारने पर उतारू हो जाते है। इसी क्रम में दिनांक 14.04.2019 दिन रविवार को विपक्षीगण आवेदक की पत्नी को गाली–गलौज एवं मार–पीट किये हैं तथा जान से मारने की धमकी भी दिये है। विपक्षीगण का उक्त वर्णित जमीन से कोई मतलब नहीं है तथा जमीन से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। वे लोग सिर्फ दबंगई दिखाते हुए लाठी एवं पैसा के बल पर आवेदक एवं उनके परिवार जनों को कमजोर पाकर उसे परेशान करने की नियत से जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर झोपड़ीनुमा घर से उच्छेद करने का अनुरोध किये है।

जबाब में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षीगण मौजा पहाड़पुर

Scanned with CamScanner

है। चूंकि जमीन को बिक्री नहीं किये हैं।

अतः विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक के द्वारा दायर उच्छेदी वाद को समाप्त करने का अनुरोध किये हैं।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 390/रा0, दिनांक 15.05.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि उक्त भूमि खतियान में गुधनी मंडलाईन, पति– संसाराम मंडल, जाति धानुक के नाम से दर्ज है। आवेदक की माँ मिनु मंडल, पति– स्व0 नन्दलाल मंडल निबंधित केवाला सं0 621, दिनांक 16.02.2015 के द्वारा क्रय कर नामांतरण करवा लिया है। वर्तमान पंजी ॥ के पृष्ठ सं0 31 ॥ में मिनु मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर आवेदक भोग दखल कर रहा है। विपक्षीगण 1. जनार्दन मंडल, पिता– स्व0 चन्द्र मंडल 2. बापन मंडल, पिता– जनार्दन मंडल 3. बापी मंडल, पिता– जनार्दन मंडल 4. प्रतिमा मंडल, पति– स्व0 शम्भू मंडल उक्त भूमि के आंशिक रकवा पर अवैध रूप से दखल कब्जा कर रखा है। विपक्षीगण उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाये।

आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में निबंधित विक्री केवाला सं0 621, दिनांक 16.02.2015 की छाया प्रति समर्पित किये हैं।

विपक्षीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात समर्पित किये हैं:–

1. मौजा बांका पहाडपुर के जमाबंदी नं0– 33, दाग नं0– 166, रकवा 03 कट्ठा 13 धूर जमीन का खतियान की छाया प्रति का हिन्दी अनुवाद सहित।
2. टुलु मंडल के द्वारा अपने पुत्री मिनु मंडल के नामं से निष्पादित जाली विक्रय केवाला सं0 621/16.02.2015 की छाया प्रति।
3. गुधनी मंडलाईन के नाम लगान रसीद की छाया प्रति।
4. चन्दर मंडल के द्वारा शहीद मोमीन के पक्ष में निष्पादित मौजा पहाडपुर के दाग नं0– 359 रकवा 16 कट्ठा 12 धूर जमीन का विक्रय केवाला सं0 1739, दिनांक 01.03.2017 की छाया प्रति।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, दाखिल किये गये कागजातों एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष एक ही वंशवृक्ष से आते है। इससे स्पष्ट है कि वाद अधिकार एवं स्वत्व से संबंधित है न कि अवैध दखल संबंधी।

अतएव उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner